भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 720

उत्तर देने की तारीख : 07.12.2023

अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए योजनाएं

720. डॉ. मोहम्मद जावेदः

श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

श्री के. सुधाकरन:

श्री बैन्नी बेहननः

डॉ. ए. चेल्लाकुमारः

डॉ. अमर सिंहः

एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

श्री के. मुरलीधरनः

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री टी. एन. प्रथापन:

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिन्होंने आवेदन किया है और जिन्हें छात्रवृत्तियां प्रदान की गई है;

(ख) मौलाना आजाद अध्येतावृत्ति को बंद करने के क्या कारण हैं, विशेषकर जब अल्पसंख्यक समुदायों के सभी छात्र विशिष्ट अध्येतावृत्ति योजनाओं के लाभ वाले अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं हैं;

(ग) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए विदेश में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करने वाली कोई नीति अथवा योजना प्रस्तावित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा देश भर में अल्पसंख्यक बोर्ड अथवा संस्था को राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(च) नए यूजीसी जेआरएफ/एसआरएफ धनराशि की सीमा के अंतर्गत सरकार एमएएनएफ की अध्येतावृत्ति राशि में कब तक वृद्धि करेगी?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क): सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को विशेष रूप से लागू किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों से प्राप्त आवेदनों की संख्या और प्रदान की गई छात्रवृत्ति का राज्यवार विवरण मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् https://www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख): यूजीसी और सीएसआईआर की योजना जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), अल्पसंख्यकों सहित सभी सामाजिक श्रेणियों और समुदायों के छात्रों के लिए खुली है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाओं और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना के तहत भी कवर किया जाता है। चूंकि मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (MANF) योजना का केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा के लिए कार्यान्वित विभिन्न चालू अध्येतावृत्ति योजनाओं के साथ ओवरलैप होने के कारण, इस योजना को 2022-23 से बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ): राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC), जोकि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों को कम ब्याज दर पर विदेश में शिक्षा के लिए शैक्षणिक ऋण प्रदान करता है। यह भी देखा गया है कि पढ़ो परदेश योजना के तहत लाभार्थियों को मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का लाभ सीमित था और यह अन्य मंत्रालयों अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अन्य समान योजनाओं, जो पात्र अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों पर भी लागू होते हैं, के साथ ओवरलैप है। उपरोक्त ओवरलैप, सीमित लाभ और कम ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सुलभता को देखते हुए, पढ़ो परदेश योजना को 2022-23 से बंद करने का निर्णय लिया गया है।

(ङ): इस मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक बोर्डों और संस्थाओं को धन आबंटित नहीं किया जाता है।

(च): योजना के तहत अध्येतावृत्ति राशि में वृद्धि सहित सभी पहलुओं पर मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जाता है।

*****